



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019/पौष 10, 1941

No. 756]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/PAUSHA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सं. 07/2019—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क-गै.टे.

सा.का.नि. 979(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 132 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए भी ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2019—केंद्रीय उत्पाद शुल्क-गै.टे., दिनांक 21 अगस्त 2019, जिससे सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 21 अगस्त 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

नियम 3, उप नियम (1) में अंक, अक्षर और शब्द “31 दिसम्बर, 2019”, के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “15 जनवरी, 2020” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 267/78/19-सीएक्स 8(पार्ट III)]

अभिषेक द्विवेदी, उपायुक्त, सीमाशुल्क-8

[प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था]

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2019

No. 07/2019 Central Excise-NT

G.S.R. 979(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 132 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 05/2019-Central Excise-NT, dated the 21st August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 588(E), dated the 21st August, 2019, namely:-

In rule 3, in sub-rule (1), for the figures, letters and word “31st December, 2019”, the figures, letters and word “15th January, 2020” shall be substituted.

[F. No. 267/78/19-CX8(Pt III)]

ABHISHEK DWIVEDI, Dy. Commissioner, CX-8

[The Principle notification was published *vide* G.S.R. 588(E) dated 21st August, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]